प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-संत कबीर नगर।

पत्रांकः एम.डी.-कैम्प/2016-17/2089 दिनांकः 29 अगस्त, 2016

विषयः दिनांक 17.08.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद संत कबीर नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.08.2016 को आपके जनपद-संत कबीर नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों/निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि निरीक्षण आख्या का बिन्दुवार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक।

पत्रांकः एम.डी.-कैम्प/2016-17/2089-4 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी जनपद-संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या पर अपने स्तर से कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरी को को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. महाप्रबन्धक, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से फालो-अप करना सुनिश्चित करें।
4. मण्डलीय कार्यक्रम अधिकारी, बस्ती एवं एवं जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निरीक्षण आख्या पर बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक।

श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2016 को जनपद संत कबीर नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय की निरीक्षण आख्या

संयुक्त जिला चिकित्सालय, सन्त कबीर नगर= निरीक्षण के दौरान श्री सरोज कुमार, जिलाधिकारी, संत कबीर नगर, मुख्य चिकित्साधिकारी-संत कबीर नगर, डा0 ए0के0 श्रीवास्तव-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं अन्य जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

- जिला संयुक्त चिकित्सालय में कुल 24 चिकित्सक तैनात हैं जिनमें 05 चिकित्सक निलम्बित हैं।
- चिकित्सालय में प्रतिदिन लगभग 1200 ओ.पी.डी., 35 आई.पी.डी. एवं 03 सिजेरियन केस किये जाते हैं।
- चिकित्सालय में एस.एन.सी.यू. क्रियाशील है जिसमें 02 पीडियाट्रिक तैनात हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अब कुल 97 बच्चे उपचारित किये जा चुके हैं।
- एस.एन.सी.यू. में महिलाओं को स्तनपान (कंगारू मदर केयर) हेतु कोई स्थान नहीं था। **वार्ड में बने स्टोर रूम को स्तनपान कक्ष बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**
- महिला वार्ड में भर्ती महिलाओं द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाला भोजन पत्तल में दिया जा रहा है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। **इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया किया गया कि तत्काल भोजन हेतु स्टील की थाली की व्यवस्था सुनिश्चित करें।**
- एम.सी.पी. कार्ड पर एम.सी.टी.एस. आई.डी. एवं बचत खाता अंकित नहीं पाया गया।
- एम.सी.पी. कार्ड के अन्दर के पन्नों पर की गई जाँचों का उल्लेख नहीं पाया गया।
- चिकित्सालय में पर्याप्त बेड होने के बावजूद भी मरीजों की संख्या कम पायी गई। **बेड आक्यूपेंसी बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**
- **जननी सुरक्षा योजना रजिस्टर में प्रॉपर अभिलेखों को अंकित नहीं किया जा रहा है।**
- **जिला संयुक्त चिकित्सालय हिसाब से सिजेरियन एवं नार्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है।**
- **चिकित्सालय का एन.बी.सी.सी.यू. खराब पाया गया।**

मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान पायी कमियों को तत्काल निस्तारित करायें तथा उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।